

**कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,**

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, चूरगांव/फेवस +91 172 2583988, 2583861. E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

प्रमाणक प्रशा-डी-तीन-8605 / 3531

दिनांक: 1-1-19

सेवा में

वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल,
हिसार।

विषय: Diversion of 0.432 ha. of forest land for laying of OFC by M/s Reliance Jio Infocomm Ltd. from Village Mandholi tower to Village Obra via Village Gopalwas. under forest division and District Bhiwani, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Others/34825/2018

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक 1577 दिनांक 29-11-2018।

कृपया उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अंतर्गत अनुमति मांगी गई है।

2. सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1670-व-2-2016/8430 दिनांक 6-5-2016 की अनुरूपता में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय स्तर पर इस प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् विषयांकित उद्देश्य हेतु 0.432 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सख्त प्राधिकारी की सहमति/स्वीकृति उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. इस कंस में कोई फूटा नहीं काटा जाएगा।
3. प्रयोक्ता एजेंसी स्थानीय अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत राज्य सरकार के वन विभाग से वन संरक्षण तथा चौकरोपण के हिस में राज्य वन विभाग की किसी भी शर्त की पालना करेगी।
4. यह ऑपरेशनी वन भूमि के सबसे बाहरी किनारे के साथ विछाई जाएगी और खादी गई जमीन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पुनः स्थापित की जाएगी।
5. प्रयोक्ता एजेंसी किसी भी प्रकार की वन समदा/पर्यावरण का होने वाली हानि की गारंटी करेगी।
6. प्रयोक्ता एजेंसी किसी भी प्रकार के खूब-खूब के कार्यों के लिए वन विभाग के स्थानीय अधिकारी का अनुमति प्राप्त करेगी।
7. वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में दर्शाये गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।
8. यह कार्य इस स्वीकृति पत्र के जारी होने के एक वर्ष के भीतर पूर्ण करना होगा।
9. यह स्वीकृति अत्र सम्बन्धित अनुच्छेदों/नियमों/न्यायालय आदेशों/अनुदेशों आदि के अधीन प्रस्ताव की अनुमति पर निर्भर करती है जैसा कि इस प्रस्ताव पर लागू है।
10. खाई (trench) की चौड़ाई एक मीटर से अधिक व गहराई दो मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11. यह स्वीकृति राष्ट्रीय उद्यान व वन्य प्राणी विहन क्षेत्रों में लागू नहीं होगी।
12. इस स्वीकृति को किसी भी समय स्थगित/रद्द किया जा सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है।

(Handwritten signature)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफओसीओ व कोसा),
कृते प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकुला।



1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, बंग नं० 24-25, सैक्टर-31-ए, चण्डीगढ़।
2. वन मण्डल अधिकारी, भिवानी।
3. M/s Reliance Jio Infocomm Ltd., Mohali.

(Handwritten notes)
FCA
21/1/19
1555
21/1/19

(Handwritten notes)
हिसार, 30/6
दिनांक 1/1/19
हिसार (वन परीक्षण व वन्य प्राणी विहन क्षेत्रों में लागू नहीं होगी)
हिसार (वन परीक्षण व वन्य प्राणी विहन क्षेत्रों में लागू नहीं होगी)